द डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया

बनाम

सुभर्ती के.के.बी. चेरिटेबल ट्रस्ट व अन्य

25 अप्रैल, 2001

[एम. बी. शाह और एस. एन. वरियावा, जे. जे.]

शिक्षाः-

शैक्षिक संस्थान-दंत महाविद्यालय-की स्थापना

प्रत्यर्थी ने 100 छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति मांगी-केंद्र सरकार केवल 60 छात्रों के लिए अनुमति दी है लेकिन उच्च न्यायालय ने 100 छात्रों के लिए मंजूरी प्रदान की-उचित नहीं है-अभिनिर्धारित किया-आम तौर पर अदालतें सीधे परमादेश जारी नहीं करती हैं-बल्कि अदालतें मामले को पुनर्विचार के लिए भेज सकती हैं। दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 की धारा 10ए।

निजी संस्थान- की स्थापना-प्रतिबंधों की आवश्यकता

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-रिट अधिकारिता अधिकार क्षेत्र-विशेषज्ञ निकायों के निर्णय के साथ हस्तक्षेप का अभ्यास-केवल सीमित सीमा तक-सीधे परमादेश जारी करने के लिए नहीं-अधिकारियों द्वारा

शक्ति के मनमाने उपयोग को सही करने के अलावा अन्यथा मामले को फिर से पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया जा सकता है।

प्रत्यर्थी ट्रस्ट ने 100 छात्रों के लिए नए डेंटल कॉलेज की स्थापना के लिए केंद्र सरकार को आवेदन किया। अपीलार्थियों की निरीक्षण समिति परिषद ने स्वीकार किया कि डेंटल कॉलेज ने योग्यता को संतुष्ट किया था लेकिन इसने 60 छात्रों के साथ कॉलेज स्थापित करने की सिफारिश की। केंद्र सरकार ने प्रतिवादी-ट्रस्ट को केवल 60 छात्रों के साथ कॉलेज शुरू करने की अनुमति दी। प्रत्यर्थियों-ट्रस्ट ने 60 छात्रों के बजाय 100 छात्रों के वार्षिक बैच के साथ डेंटल कॉलेज की स्थापना के लिए मंजूरी देने के लिए केंद्र सरकार और अपीलकर्ता-परिषद को एक अवधि के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। रिट याचिका को इस आधार पर अनुमति दी गई थी कि अपीलकर्ता-परिषद ने मनमाने ढंग से काम किया है क्योंकि संस्थान के पास 100 छात्रों को प्रवेश देने के लिए अपीलार्थी परिषद के दिशानिर्देश-सभी बुनियादी ढांचे और सुविधाएं हैं।

प्रत्यर्थी ट्रस्ट द्वारा एक और रिट याचिका दायर की गई थी- यह प्रस्तुत किया गया कि प्रथम और द्वितीय वर्ष के 100 छात्रों की संख्या को मंजूरी देने के बावजूद विशेष अनुमति याचिका के कारण परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी गई। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी-परिषद को बी. डी. एस.

पाठ्यक्रम के छात्रों को प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षा में अस्थायी रूप से उपस्थित होने के लिए अनुमति देने का निर्देश दिया। इसने अपीलार्थी-भारतीय परिषद को संस्थान का निरीक्षण कराने का भी निर्देश दिया। रिट याचिकाओं पर उपरोक्त आदेशों के खिलाफ वर्तमान अपीलों के रूप में साथ ही स्थानांतरण का मामला दायर किया गया है। अपीलार्थी-परिषद ने तर्क दिया कि केंद्र सरकार को कॉलेज का नवीनीकरण नहीं करने और छात्रों की संख्या को 60 पर सीमित करने की उसकी सिफारिशें वैध, न्यायसंगत, उचित और कानूनी थीं और इसके अलावा अदालतों को अपीलार्थी-परिषद और भारतीय चिकित्सा परिषद जैसे विशेषज्ञ निकायों के फैसले में हस्तक्षेप करने में देरी करनी चाहिए।

प्रत्यर्थी-ट्रस्ट ने तर्क दिया कि स्थापित कॉलेज में 100 छात्रों की संख्या के लिए वैधानिक नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक बुनियादी ढांचा है और इसलिए अनुमति दी जानी चाहिए।

मामलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

निर्धारित किया - 1.1. उच्च न्यायालय द्वारा डेंटल कॉलेज को 60 छात्रों के बजाय 100 छात्रों के वार्षिक बैच को प्रवेश देने के लिए सहमति के लिए परमादेश जारी किया गया था। महाविद्यालय में सुविधाओं की वर्तमान स्थिति पहले वर्ष में 100 छात्रों को प्रवेश देने और दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ष के बी.डी.एस. पाठ्यक्रम के लिए नवीनीकरण की अनुमति

देने को उचित ठहराएगी। चूंकि उक्त आदेश के संचालन पर रोक नहीं लगाई गई थी, इसलिए डेंटल कॉलेज द्वारा दिए गए प्रवेश में बाधा डालना उचित एवं सही नहीं होगा।

1.2 छात्रों को शैक्षणिक सत्र 1997-98 के लिए जनवरी 1998 और 1998-99 के लिए जून 1999 के बाद प्रवेश दिया गया था। अदालत के आदेश से कॉलेज में शिक्षण को निलंबित कर दिया गया है। पहले बैच के छात्रों ने क्रमशः ढाई साल, दूसरे बैच ने डेढ़ साल और तीसरे बैच ने 6 महीने तक अध्ययन किया। इसलिए, छात्रों को केवल अपीलार्थी परिषद के नियमों के अनुसार परीक्षा में बैठने की अनुमति उपस्थिति की अनिवार्यता निर्धारित करने के बाद दी जाएगी।

एच.पी. राज्य और अन्य बनाम हिमाचल इंजीनियरिंग संस्थान और प्रौद्योगिकी, शिमला, [1998] 8 एस. सी. सी. 501, पर निर्भर था।

2. न्यायालय को आम तौर पर भारतीय चिकित्सा परिषद या भारतीय दंत चिकित्सा परिषद जैसे विशेषज्ञ निकाय द्वारा लिए गए निर्णय में इस तरह के संस्थान की स्थापना के लिए प्राधिकरण को अनुमोदन या अनुमति देने का निर्देश देते हुए सीधे परमादेश जारी कर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस तरह के विशेषज्ञ निकाय द्वारा प्रयोग किया जाने वाला विवेकाधिकार में हस्तक्षेप करने के लिए न्यायालय की अधिकारिता सीमित है, भले ही शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान के भाग-III में निहित मौलिक अधिकार के

अनुरूप हो। लेकिन जहां ऐसे निकाय किसी कुत्सिक उद्देश्य के लिए मनमाने ढंग से कार्य करते हैं, न्यायालय के पास ऐसे अधिकारियों द्वारा शक्ति के इस तरह के मनमाने उपयोग को सही करने की शक्ति है। यह इस मामले को भारतीय दंत चिकित्सा परिषद को संस्थान के पुनः निरीक्षण और केंद्र सरकार द्वारा पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, न कि सीधे परमादेश जारी करता।

भारतीय चिकित्सा परिषद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, [2000] 5 एस. सी. सी. 63; भारत संघ बनाम एरा एजुकेशनल ट्रस्ट और एन. आर. , [2000] 5 एस. सी. सी. 57; भारतीय चिकित्सा परिषद बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य, [1998] 6 एस. सी. सी. 131 154 पर; पंजाब राज्य और अन्य। वी. रेणुका सिंगला और अन्य, [1994] 1 एस. सी. सी. 175; उन्नी कृष्णन बनाम ए. पी. राज्य, [1993] 1 एस. सी. सी. 645 751 पर; कृष्ण प्रिया गांगुली और अन्य वी. लखनऊ विश्वविद्यालय और अन्य, [1984] 1 एस. सी. सी. 307; महाराष्ट्र राज्य बनाम विकास साहेबराव राउंडले और अन्य। , [1992] 4 एस. सी. सी. 435; गुरु नानक देव विश्वविद्यालय बनाम परमिंदर के. बंसल, [1993] एस. सी. सी. 401 और ए. पी. क्रिश्चियन मेडिकल एजुकेशनल सोसाइटी बनाम सरकार. ए. पी., [1986] 2 एस. सी. सी. 667, पर निर्भर था।

3. जहां संस्थान शिक्षा प्रदान करने के लिए अच्छी तरह से

सुसज्जित नहीं हो सकता है, और संस्थान को चलाने के लिए आवश्यक योग्य शिक्षक, कर्मचारी या अन्य बुनियादी ढांचा नहीं हो सकता है, प्राधिकरण अनुमोदन से इनकार कर सकता है क्योंकि यदि अनुमति सीधे न्यायालय, समाज, शिक्षण द्वारा दी जाती है, तो अंततः छात्रों को नुकसान होता है।

4.1. सदियों से हमारी संस्कृति और सभ्यता ने यह माना है कि शिक्षा समाज के पवित्र दायित्वों में से एक है जिसका निर्वहन 'विद्वान' और/या राज्य द्वारा किया जाना है। हाल के दिनों में, एक धारणा विकसित हुई है कि शिक्षा की स्थापना और प्रशासन एक धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्य है। इसलिए, हमारी संस्कृति की समृद्ध विरासत को लगातार प्रदूषण रहित शिक्षा से संरक्षित किया जाना चाहिए।

उन्नी कृष्णन बनाम ए. पी. राज्य, [1993] 1 एस. सी. सी. 645 751 पर, निर्भर था।

4.2. वर्तमान में सामाजिक मूल्यों और पर्यावरण में जबरदस्त बदलाव हो रहा है। कुछ लोग शिक्षा के व्यावसायीकरण में कुछ भी गलत नहीं मानते हैं। फिर भी, निजी संस्थानों को देश में शैक्षणिक 'दुकानें' रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। लेकिन यह तथ्य स्वीकार किया जाना चाहिए कि शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के लिए सरकारी तंत्र या कोष ना तो पर्याप्त और ना ही समुचित और निजी संस्थानों की आवश्यकता से

इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि जब तक समाज में, उचित शैक्षिक सुविधाएं नहीं हाेंगी, युवा पीढ़ी की आवश्यक्ताओं को पूरा करना मुश्किल होगा, जो वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए ज्ञान और शिक्षा प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखते हैं। इसलिए, संबंधित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति या अनुमोदन के बिना शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए वैधानिक प्रतिबंध किए हुए हैं।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 3295/2001

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के CMWP 25780/97 में दिनांकित 15.9.97 केनिर्णय और आदेश के साथ सिविल अपील सं 3296-97 2001 और 1999 की स्थानांतरण याचिका (सी) संख्या 437

हरीश एन. साल्वे, सॉलिसिटर जनरल, के. एन. रावल, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, सुबोध मार्कंडेय, शांति भूषण, आर. के. जैन, मनिंदर सिंह, प्रतिभा एम. सिंह, सुश्री कविता वाडिया, अंकुर तलवार, चित्रा मार्कंडेय, नोहान बाबू अग्रवाल, आलोक गुप्ता, मिज फिरोजा बानो, अशोक अग्रवाल, एम. ए. चिन्नासामी, अनुज भुवारिया, संजय कुमार, मनमोहन, सुश्री बीना गुप्ता, राखी रे, डी. के. जैन और सुश्री रीता चौधरी उपस्थित पक्षकारों की ओर से।

न्यायालय का निर्णय जिसके द्वारा दिया गया था, शाह. जे. अपील

स्वीकार की गयी।

डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया ने 15.9.1997 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय [आर. आर. के. त्रिवेदी और एम. काटजू, जे. जे.] द्वारा सिविल विविध की रिट याचिका संख्या 25780/1997 में पारित आदेश को चुनौती दी है रिट याचिका प्रतिवादी सुभारती के.के. बी. चैरिटेबल ट्रस्ट (संक्षेप में "ट्रस्ट") द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने मेरठ में एक डेंटल कॉलेज की स्थापना की थी और शैक्षणिक वर्ष 1996-97 के लिए शिक्षण शुरू करने की अनुमति के लिए केंद्र सरकार को आवेदन किया था। यह आरोप लगाया गया था कि प्रत्यर्थी-ट्रस्ट 100 छात्रों के नए डेंटल कॉलेज की स्थापना के संबंध में भारतीय डेंटल काउंसिल (संक्षेप में "डीसीआई") द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में निर्धारित योग्यता मानदंडों को पूरा कर रहा था। डेंटल कॉलेज ऑफ इंडिया की निरीक्षण समिति ने कॉलेज की स्थापना के पक्ष में रिपोर्ट दी। हालाँकि, दूसरा निरीक्षण दल यह स्वीकार करते हुए कि डेंटल कॉलेज ने केवल 60 छात्रों के बैच के साथ शुरू करने के लिए अनुशंसित योग्यता मानदंडों को पूरा किया है और उस आधार पर केंद्र सरकार ने प्रत्यर्थी को केवल 60 छात्रों के साथ कॉलेज शुरू करने की अनुमति दी। इसलिए, प्रत्यर्थी-ट्रस्ट ने उच्च न्यायालय में एक आदेश के लिए रिट याचिका दायर की जिसमें केंद्र सरकार और डी. सी. आई. को 60 छात्रों के बजाय 100 छात्रों के वार्षिक बैच के साथ डेंटल कॉलेज की स्थापना को मंजूरी देने का

निर्देश दिया गया। न्यायालय ने कहा कि निरीक्षण समिति द्वारा प्रस्तुत दूसरी रिपोर्ट से ऐसा प्रतीत होता है कि संस्थान ने 100 छात्रों के एक समूह को प्रवेश देने के लिए सभी आवश्यकताओं का पालन किया है, लेकिन दूसरी रिपोर्ट के नीचे दी गई टिप्पणी आश्चर्यजनक रूप से काफी अजीब है कि भूमि निर्माण, उपकरण और कर्मचारी आदि के मामले में मौजूदा बुनियादी ढांचा 60 छात्रों के प्रवेश के लिए पर्याप्त था। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि कोई उचित कारण नहीं बताया गया कि डी. सी. आई. ने 100 छात्रों के बजाय केवल 60 छात्रों के प्रवेश की अनुमति क्यों दी, जबकि संस्थान ने 100 छात्रों को प्रवेश देने के लिए भारतीय दंत चिकित्सा परिषद के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी आवश्यकताओं का पालन किया है। इसलिए, न्यायालय ने कहा कि प्राधिकरण ने मनमाने ढंग से काम किया है क्योंकि संस्थान के पास दंत चिकित्सा परिषद के दिशानिर्देशों के अनुसार 100 छात्रों को प्रवेश देने के लिए सभी बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के बावजूद, इसे केवल 60 छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति दी गई थी। अंत में, न्यायालय ने अपने निर्णय और आदेश दिनांक 15.9.1997 के द्वारा रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और इसका परिचालन भाग इस प्रकार हैः

> "वर्तमान मामले में, हम पाते हैं कि अधिकारियों ने मनमाने ढंग से काम किया है याचिकाकर्ता के पास 100

छात्रों को प्रवेश देने के लिए सभी बुनियादी ढांचे और सुविधाएं होने के बावजूद, केवल 60 छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति दी गई थी। प्रत्यर्थी की यह कार्रवाई स्पष्ट रूप से मनमाना और अवैध है। याचिकाकर्ता डेंटल कॉलेज को 60 छात्रों के बजाय 100 छात्रों के बैच को सालाना प्रवेश देने के लिए मंजूरी देने के लिए प्रत्यर्थी को एक परमादेश जारी किया जाता है''

इस अपील में उस आदेश को चुनौती दी गई है।

एस.एल.पी. नं. 22222/97 में सुनवाई लंबित रहने के दौरान, प्रत्यर्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक और रिट याचिका नं. 8299/99 दायर की। उस याचिका में, प्रत्यर्थी ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने दिनांक 15.9.1997 के आदेश के माध्यम से अपीलार्थियों को प्रत्यर्थी डेंटल कॉलेज को 60 छात्रों के बजाय 100 छात्रों के वार्षिक बैच को प्रवेश देने के अनुमोदन के लिए परमादेश जारी किया, लेकिन अपीलकर्ता ने एसएलपी (सी) संख्या 22222/97 के लंबित होने के कारण बैच के 1998-99 में प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। उच्च न्यायालय ने दिनांक 26.2.1999 के आदेश में अपीलकर्ताओं को प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के बी. डी. एस. पाठ्यक्रम के छात्रों को अस्थायी रूप से परीक्षा में बैठने की अनुमति देने का निर्देश दिया

गया है और निदेशक केंद्रीय चिकित्सा शिक्षा, यूपी लखनऊ को 1998-99 के लिए बीडीएस प्रवेश परीक्षा में छात्रों के नाम तुरंत अग्रेषित करने का निर्देश दिया गया था। उच्च न्यायालय ने दिनांक 17.4.1999 के आदेश द्वारा डी. सी. आई. को एक आयोग,द्वारा विचाराधीन संस्थान का निरीक्षण कराने का निर्देश दिया जिसमें (1) जिला न्यायाधीश, मेरठ या उनके द्वारा नामित कोई अतिरिक्त न्यायाधीश। (2) प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज, लखनऊ या उनके द्वारा नामित कोई उपयुक्त व्यक्ति और (3) डॉ. के. के. मल्होत्रा (सदस्य डी. सी. आई.) लखनऊ डेंटल कॉलेज, लखनऊ में प्रोफेसर और महाविद्यालय का निरीक्षण कर उसके बाद रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। दिनांक 26.2.99 और 17.4.99 के आदेशों के विरुद्ध, डी. सी. आई. ने इस न्यायालय के समक्ष डब्ल्यू. पी. सं. 8299/99 के हस्तांतरण के लिए स्थानांतरण याचिका (ग) सं. 437/99 के साथ एस.एल.पी.(सी) नं. 8464-65/1999 को प्राथमिकता दी।

इस न्यायालय ने विभिन्न अंतरिम आदेश पारित किए। 23 जुलाई 1999 को, पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित कियाः

> "याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को डेन्टल कॉंसिल की निरीक्षण रिपोर्ट के साथ अतिरिक्त हल्फनामा दायर करने की अनुमति है। उच्च न्यायालय ने विद्वान जिला न्यायाधीश के

नेतृत्व में महाविद्यालय के निरीक्षण के लिए एक और समिति नियुक्त की है। हम विद्वान जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति को दो सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट भेजने के लिए निर्देश देते हैं। अगर विद्वान जिला न्यायाधीश द्वारा निरीक्षण पहले ही नहीं किया गया है, तो विद्वान जिला न्यायाधीश दोनों पक्षों को नोटिस देंगे, उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार निरीक्षण पूर्ण करेंगे और दो सप्ताह के भीतर निरीक्षण की रिपोर्ट भेजेंगे। रिपोर्ट की प्रतियाँ दोनों पक्षों को दी जाएगी।

स्थानांतरण याचिका पर नोटिस जारी करें। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को इस न्यायालय में प्रत्यर्थी के लिए संबंधित विद्वान स्थायी वकील को अतिरिक्त नोटिस देने की अनुमति है।"

दिनांक 03.05.2000 पर, इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित कियाः-

"प्रथम वर्ष के बैच 1998-99 के लिए, प्रत्यर्थी के पास छात्रों के प्रवेश के लिए उच्च न्यायालय का एक आदेश था। 1999-2000 की स्वयं की प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए न तो न्यायालय का कोइ आदेश

था और न ही किसी अन्य प्राधिकरण की अनुमति थी, लेकिन प्रत्यर्थी ने 1998-1999 व 1999-2000 के दोनों बैचों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की।

प्रथम दृष्टया जहां तक इन दो बैचों का संबंध है हम प्रत्यर्थी कॉलेज, के पक्ष में कोई आदेश पारित करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। प्रत्यर्थी कॉलेज को अगले आदेश तक 1998-1999 और 1999-2000 इन दो बैचों के लिए कक्षाओं को निलंबित करने का निर्देश दिया जाता है।

अगला प्रश्न प्रथम वर्ष के बैचों 1996-97 और 1997-98 के संबंध में है, जिन्होंने अब दो साल और तीसरे वर्ष के पाठ्यक्रम पूरे कर लिए हैं और तीसरे वर्ष की परीक्षा की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

जहाँ तक 1996-1997 बैच के लिए प्रवेश का संबंध है, भारतीय दंत परिषद द्वारा 60 छात्रों के लिए अनुमति और शेष 40 छात्रों के लिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी संस्थान के पक्ष में एक आदेश दिया है।

जहाँ तक 1997-1998 के लिए प्रथम वर्ष के बैच का संबंध है, छात्रों के प्रवेश के लिए न्यायालय का कोई आदेश नहीं था। लेकिन प्रत्यर्थी केवल 1998-1999 के संबंध में एक आदेश पर निर्भर करता है, और निहितार्थ से यह माना जाता है कि 1997-1998 के लिए, यह माना जाना चाहिए कि

प्रवेश के लिए एक ही आदेश है, और 1997-1998 के लिए 100 छात्रों को प्रवेश देने के लिए आगे बढ़ा।

यह तर्क दिया गया है कि जिन छात्रों को प्रथम वर्ष के बैच 1997-1998 के लिए भर्ती किया गया है, वे हमारे सामने प्रत्यर्थी द्वारा दिए गए बयान के अनुसार, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश द्वारा दी गई सूची में से थे। चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक, उत्तर प्रदेश इस न्यायालय को सत्यापित करेगा और पुष्टि करेगा कि क्या वर्ष 1997-1998 के लिए प्रत्यर्थी संस्थान द्वारा भर्ती किए गए छात्रों का दूसरे वर्ष का बैच उक्त महानिदेशक द्वारा प्रस्तुत प्रवेश परीक्षा योग्यता सूची में से था। यदि, यह पाया जाता है कि प्रथम वर्ष के छात्रों के 1997-1998 बैच को महानिदेशक द्वारा दी गई सूची से प्रवेश दिया गया है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, तो हम इस प्रश्न पर विचार कर सकते हैं कि क्या उन्हें तीसरा वर्ष लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। जैसा कि पहले कहा गया है, 1996-97 और 1997-98 के लिए दो बैचों ने प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम पूरे कर लिए हैं। प्रश्न यह होगा कि क्या उन्हें नवंबर-दिसंबर, 2000 की परीक्षा देने की अनुमति दी जानी चाहिए।

जहां तक तीसरे वर्ष में मई, 2000 की परीक्षा का प्रश्न है, हम 1996-1997 और 1997-1998 के प्रथम वर्ष के बैच के इन छात्रों को अनुमति देने के लिए इच्छुक नहीं हैं, लेकिन मई, 2000 की उनकी परीक्षा

देने के सवाल पर सुनवाई की अगली तारीख पर यह सत्यापित करने के बाद निर्णय लिया जाएगा कि क्या 1997-98 प्रथम वर्ष का बैच योग्यता सूची से था। उस समय तक हमारे पास नई निरीक्षण रिपोर्ट भी होगी।

जहाँ तक नए निरीक्षण का संबंध है, भारतीय दंत परिषद द्वारा पहले भी कइ निरीक्षण अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। न्यायालय के आदेश के तहत कुछ निरीक्षण जिला न्यायाधीश द्वारा भी किए गए हैं और एक अन्य समिति जो जिला न्यायाधीश के साथ मानी जाती है के द्वारा भी निरीक्षण किए गए हैं। अब, हम एक नई निरीक्षण रिपोर्ट और एक अंतिम रिपोर्ट चाहते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ष के पाठ्यक्रम के संचालन के लिए अनुमति देने के लिए सभी आवश्यक शर्तें पूरी हो गई हैं या नहीं और क्या चार वर्षों के पाठ्यक्रमों के संबंध में कॉलेजों के पास संकाय और अन्य कर्मचारियों सहित सभी बुनियादी ढांचा उपलब्ध है। इसलिए हम एक समिति द्वारा नए सिरे से निरीक्षण का निर्देश देते हैं, जैसा कि इस आदेश में नीचे निर्दिष्ट किया गया है।

नए परिसर के संबंध में निरीक्षण किया जाएगा। जिसका निर्माण संस्था द्वारा किया गया है, जो मेरठ नगर पालिका में स्थित है। निरीक्षण दल उस अस्पताल का भी निरीक्षण करेगा, जिसे इन संस्थान से जुड़ा हुआ माना जाता है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि दंत चिकित्सा परिषद बाद में बताए

जाने वाले किसी भी विषय को पीछे छोड़े बिना चार वर्षों के लिए पाठ्यक्रम के संचालन के लिए सभी बुनियादी ढांचे के संबंध में सभी के लिए एक बार अपनी विस्तृत अंतिम रिपोर्ट देगी।

निरीक्षण दल को दंत चिकित्सा परिषद द्वारा नामित किया जाएगा। लेकिन इस समिति के अध्यक्ष दंत विज्ञान विभाग, स्नात्तकोत्तर इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस, चंडीगढ़ के प्रमुख होंगे। संस्थान के प्राचार्य या अन्य प्रतिनिधियों की उपस्थिति में आज से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर निरीक्षण किया जाएगा जो निरीक्षण में सहयोग करेंगे। आज से छह सप्ताह के भीतर इस न्यायालय को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। रिपोर्ट की प्रतियां डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया को भी दी जाएंगी। परिषद के वकील प्रतियां बनायेंगे और उन्हें प्रत्यर्थी को देंगे।

हालाँकि, हम कह सकते हैं कि हम उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश को मंजूरी नहीं देते हैं, विशेष रूप से, 26 फरवरी, 1999 और 17 अप्रैल, 1999 को पारित आदेशों में विभिन्न अनुमोदन और भारतीय दंत चिकित्सा परिषद को अनुमोदन देने के लिए परमादेश दिया गया था।

इस संबंध में, इस न्यायालय का निर्णय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, (सिविल अपील सं. 5046/1998) निर्णय दिनांक 16.2.2000 प्रासंगिक है। इस निर्णय के निम्नलिखित अंश एक समान स्थिति से संबंधित हैं।

"हमें विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के तर्कों में बल नजर आता हैं। चूँकि इनकार मेडिकल कॉलेज, चलाने के लिए कमियों पर आधारित था इसलिए उच्च न्यायालय के लिए यह उचित होता कि वह अनुमति का निर्देश देने के लिए आदेश जारी करने के बजाय इस मामले को भारतीय चिकित्सा परिषद या भारत संघ को पुनर्विचार के लिए भेजता, भले ही यह राय हो कि भारतीय चिकित्सा परिषद का आदेश दरकिनार किए जाने के योग्य है।"

इस संबंध में पारित किए इन मामलों को जुलाई, 2000 के तीसरे सप्ताह में सुनवाई के रूप में सूचीबद्ध करें।

इसके बाद दिनांक 02.11.2000 को, न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित कियाः-

"इस न्यायालय द्वारा दिनांक 1.5.2000 के आदेश द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार स्नातकोत्तर इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस, चंडीगढ़ के विभाग प्रमुख के नेतृत्व में चिकित्सा दल ने अपनी रिपोर्ट दायर की थी और उत्तरदाताओं द्वारा स्थापित दंत चिकित्सा कॉलेज में मौजूद विभिन्न कमियों की ओर इशारा किया था।

विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने हमें रिपोर्ट और उसमें उल्लिखित कमियाँ से अवगत करवाया।

संस्थान की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने यह कहने का प्रयास किया कि भारतीय दंत परिषद द्वारा बताई गई कमियाँ के संबंध में एक वैध स्पष्टीकरण है, लेकिन हम यह स्पष्ट करते हैं कि हम निरीक्षण दल द्वारा बताई गई कमियों के संबंध में किसी भी स्पष्टीकरण को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं। टीम को इस अदालत को प्रमाणित करना होगा कि हर कमी को सही कर दिया गया है।

प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील का कहना है कि सभी दोषों को हटा दिया गया है और अब नए सिरे से निरीक्षण किया जा सकता है। इसलिए हम डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया को निर्देश देते हैं कि जहां तक संभव हो, उसी टीम से संस्थान को नोटिस जारी करने के बाद जल्द से जल्द नए सिरे से निरीक्षण करने और आज से चार सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध करें।"

शुरुआत में, हम दोहराते हैं कि दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 की

धारा 10-ए के तहत डेंटल कॉलेज की स्थापना के लिए केंद्र सरकार का कार्य है, डी.सी.आई. द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट और केंद्र सरकार द्वारा पारित ऐसी अनुमति देने से इनकार करने के आदेश के बावजूद उच्च न्यायालय को अनुमोदन के अनुसार सीधे परमादेश को पारित नहीं करना चाहिए था।। ऐसे मामलों में, यदि उच्च न्यायालय को लगता है कि केंद्र सरकार द्वारा पारित आदेश कुछ कारणों से वैधानिक प्रावधानों से परे है या मनमाना है, तो जैसा कि ऊपर उद्धृत किया गया है, उसके लिए खुला रास्ता यह था कि वह इस मामले को डी.सी.आई. को संस्थान के पुनः निरीक्षण के लिए और केंद्र सरकार द्वारा पुनर्विचार के लिए प्रेषित करते न कि परमादेश जारी करते। [इन.री.(1) भारतीय चिकित्सा परिषद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, [2000] 5 एस. सी. सी. 63 और (2) भारत संघ बनाम एरा एजुकेशनल ट्रस्ट एंड अदर, [2000] 5 एस. सी. सी. 57।]

इसके अलावा धारा 10ए सपठित धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948, भारतीय दंत परिषद ने केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ, भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नए दंत महाविद्यालय की स्थापना की अनुमति देने के लिए नियम बनाए थे, जो अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार प्रदान करता हैः-

"केंद्र सरकार भारतीय परिषद, की सिफारिशों पर मूल

प्रस्ताव में ऐसी शर्तों या संशोधनों जो आवश्यक समझी जाती हो, के साथ एक नया दंत कॉलेज स्थापित करने के लिए आशय पत्र जारी कर सकती है-उपरोक्त शर्तों और संशोधनों को स्वीकार करने के बाद आवेदक द्वारा आवश्यक राशियों के लिए निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत कर दी जाती है, तो औपचारिक अनुमति दी जाएगी।

औपचारिक अनुमति में दंत महाविद्यालय की स्थापना के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम शामिल होगा। इस अनुमति में छात्रों के पहले समूह को प्रवेश देने से पहले भवनों, अवसंरचनात्मक सुविधाओं, दंत चिकित्सा और संबद्ध उपकरणों का, संकाय और कर्मचारी आदि इस संबंध में पूरी की जाने वाली प्रारंभिक आवश्यकताओं की एक स्पष्ट परिभाषा शामिल होगी। इस अनुमति में वार्षिक लक्ष्यों को भी परिभाषित किया जावेगा, जिन्हें आवेदक द्वारा बाद के वर्षों में छात्रों के प्रवेश के अनुरूप प्राप्त किया जाना है।

एक नए दंत चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना और छात्रों को प्रवेश देने की उपरोक्त अनुमति एक वर्ष की अवधि के लिए होगी और वार्षिक लक्ष्यों की उपलब्धि के सत्यापन और प्रदर्शन बैंक गारंटी का पुनर्वैद्यीकरण के अधीन वार्षिक

आधार पर नवीनीकृत किया जाएगा। अनुमति के नवीनीकरण की यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक कि डेंटल कॉलेज की स्थापना और अस्पताल की सुविधाओं का विस्तार पूरा नहीं हो जाता और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा डेंटल कॉलेज को चार साल के बाद एक औपचारिक मान्यता प्रदान नहीं कर दी जाती। जब तक कॉलेज भारतीय दंत परिषद की संतुष्टि के लिए विकास के विभिन्न चरणों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, आगे प्रवेश रोके जाने योग्य हैं।"

इसके अलावा इन विनियमों की वैधता को बनाए रखते हुए, भारतीय चिकित्सा परिषद बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य, [1998] 6 एस.सी.सी. 131, 154 में इस न्यायालय ने देखा है कि यह नियम मेडिकल कॉंसिल के उद्देश्यों को व अन्य उल्लिखित विभिन्न उद्देश्यों को लागू करने के लिए धारा 33 में वर्णित है। यदि कोई विनियमन चिकित्सा परिषद अधिनियम की धारा 33 के तहत निर्दिष्ट उद्देश्यों के अंतर्गत आता है, तो इसमें आज्ञापक बल होगा। इसी तरह पंजाब और अन्य बनाम रेणुका सिंगला और अन्य, [1994] 1 एस.सी.सी. 175, में अदालत ने यह तय किया है किः

"इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि चिकित्सा शिक्षा सहित तकनीकी शिक्षा के जिन छात्रों को

प्रवेश दिया जाता है, उन्हें उचित शिक्षा देने के लिए बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है ताकि उनकी आवश्यकता को पूरा किया जा सके। बुनियादी ढांचे, उपकरणों, कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए, प्रवेश की संख्या की सीमा या तो भारतीय चिकित्सा परिषद या भारतीय दंत चिकित्सा परिषद द्वारा तय की जाती है। उच्च न्यायालय "अनुकंपा के आधार" पर संस्थान की क्षमता और प्रवेश की संख्या के बीच उस संतुलन को बिगाड़ नहीं सकता है।

इसलिए, यह दोहराया जाना चाहिए कि कानून की स्थिति के अनुसार, ऐसे विशेषज्ञ निकाय द्वारा प्रयोग किए गए विवेकाधिकार में हस्तक्षेप करने का न्यायालय का अधिकार क्षेत्र सीमित है। यद्यपि शिक्षा का अधिकार संविधान के भाग III में निहित मौलिक अधिकारों के अनुरूप है। पर यह भी उतना ही सच है कि समाज में जब तक उचित शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं होगी, युवा पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना मुश्किल होगा, जो वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए ज्ञान और शिक्षा प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखते हैं। यह स्वीकार करने की आवश्यक्ता है कि शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के लिए सरकारी तंत्र या धन न तो पर्याप्त है और न ही समुचित है और निजी संस्थानों की आवश्यकता से

इनकार नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, सदियों से हमारी संस्कृति और सभ्यता ने माना है कि शिक्षा समाज के पवित्र दायित्वों में से एक है, जिसका निर्वहन विद्वानों और/या राज्य द्वारा किया जाना है। यह हमारे लिए है हमारी संस्कृति उस समृद्ध विरासत को लगातार अप्रदूषित होने वाली शिक्षा से संरक्षित करें। हाल के दिनों में, एक धारणा विकसित हुई है कि शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन एक धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्य है। यह न्यायालय ने उन्नी कृष्णन बनाम ए.पी. राज्य, [1993] 1 एस.सी.सी. 645 751 (पैरा 197) निम्नानुसार देखा गयाः

> "इस देश में शिक्षा कभी भी व्यापार नहीं रही है। इसे एक बनाना इस राष्ट्र के लोकाचार, परंपरा और संवेदनाओं के विपरीत है। इसके विपरीत तर्क में एक अपवित्र भावना है। अनादिकाल से देश में शिक्षा को कभी भी व्यापार या व्यवसाय के रूप में नहीं माना गया है। इसे एक धार्मिक कर्तव्य के रूप में माना गया है। इसे एक धर्मार्थ गतिविधि के रूप में माना गया है। लेकिन कभी भी व्यापार के रूप में या व्यवसाय नहीं माना गया है"।

वर्तमान में सामाजिक मूल्यों में और परिवेश में जबरदस्त बदलाव हो रहा है। कुछ लोग शिक्षा का व्यावसायीकरण करने में कोइ बुराइ नहीं मानते हैं। फिर भी, निजी संस्थानों को देश में शैक्षणिक 'दुकानों' की

अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसलिए, संबंधित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति या अनुमोदन के बिना शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन के लिए वैधानिक प्रतिबंध हैं। कई बार अवसरों पर संबंधित अधिकारी विभिन्न कारणों से वैधानिक प्रावधानों, नियमों और विनियमों के अनुसार अपने कार्य का निर्वहन करने में विफल रहते हैं। कुछ ऐसे मामलों में, ऐसे शैक्षणिक संस्थान की स्थापना के उत्साह के कारण, ऐसा करने वाले व्यक्ति जिनके पास साधन है, के द्वारा अधिकारियों से संपर्क रखते हैं, लेकिन लालफीताशाही या बाहरी कारणों से, ऐसी अनुमति नहीं दी जाती है या देरी की जाती है। इसके विपरीत,यह इंगित किया गया है कि धर्मार्थ संस्थानों के बजाय, साधन संपन्न व्यक्ति, बाजार की मांगों को ध्यान में रखते हुए, लाभ अर्जित करने और/या किसी अन्य उद्देश्य के लिए मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज सहित तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना एक वाणिज्यिक उद्यम के रूप में करते हैं। ऐसे संस्थान अधिनियम या विनियमों के तहत निर्धारित मानदंडों का पालन करने में विफल रहते हैं और ऐसे संस्थानों की लगातार बढ़ती मांग के कारण स्थिति का फायदा उठाते हैं। ऐसे मामलों में, अधिकारियों द्वारा बिना किसी पूर्वाग्रह या बाहरी विचारों के अनुमति देने से इनकार कर दिया जाता है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि न्यायालयों को आम तौर पर चिकित्सा परिषद या दंत परिषद जैसे विशेषज्ञ निकाय द्वारा लिए गए निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जो ऐसे संस्थान की स्थापना के लिए प्राधिकरण को अनुमोदन या

अनुमति देने का निर्देश देकर सीधे परमादेश जारी करते हैं। जहां प्राधिकरण ने मंजूरी देने से इनकार कर दिया है, हो सकता है कि संस्थान शिक्षा प्रदान करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित न हो और हो सकता है कि उसके पास संस्थान चलाने के लिए आवश्यक योग्य शिक्षक, कर्मचारी या अन्य बुनियादी ढांचा न हो। यदि अदालत द्वारा सीधे अनुमति दी जाती है, तो समाज, शिक्षा और अंततः छात्रों को नुकसान होता है।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए श्री हरीश एन. साल्वे, विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने आगे यह तर्क दिया है कि एमसीआई और डीसीआई विशेषज्ञ निकाय हैं जिनके पास इन पाठ्यक्रमों में घटिया प्रवेश योग्यता को रोकने और प्रवेश के लिए योग्यता या पात्रता मानकों की निगरानी करने की शक्तियां हैं, इन विशेषज्ञ निकायों के निर्णय को न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं रखा गया है, लेकिन अदालतें ऐसे विशेषज्ञ निकायों के निर्णय में हस्तक्षेप करने में धीमी होंगी। इसके लिए उन्होंने कृष्ण प्रिया गांगुली और अन्य बनाम लखनऊ विश्वविद्यालय और अन्य, [1984] 1 एससीसी 307 मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा किया। जिसमें न्यायालय ने टिप्पणी कीः

> जब भी कोई रिट याचिका दायर की जाती है, तो याचिका को स्वीकार किए जाने पर अंतरिम प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए, जब तक कि अदालत पूरी तरह से संतुष्ट न

हो कि याचिकाकर्ता के पास एक ऐसा मामला है जो सफल होने के लिए बाध्य है या त्रुटि इतनी स्थूल या स्पष्ट है कि कोई अन्य निष्कर्ष संभव नहीं है।

उन्होंने महाराष्ट्र राज्य बनाम विकास साहेबराव राउंडल और अन्य, [1992] 4 एस. सी. सी. 435 में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का भी उल्लेख किया जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि गैर-मान्यता प्राप्त और अनाधिकृत शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों को परीक्षा में बैठने और मान्यता प्राप्त संस्थानों में समायोजित करने के लिए दायर की जा रही रिट याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति नहीं दी जा सकती थी। न्यायालय ने कहा कि "शिक्षा के तरीके और परीक्षा प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए मानक और न्यायिक आदेश को शिथिल करना शिक्षा के कुशल प्रबंधन के लिए हानिकारक है"।

इसी तरह गुरु नानक देव विश्वविद्यालय बनाम परमिंदर के. बंसल, [1993] 4 एस. सी. सी. 401, इस न्यायालय की तीन अन्य न्यायाधीशों की पीठ ने उच्च न्यायालय द्वारा छात्रों को एम. बी. बी. एस. परीक्षा उत्तीर्ण किए बिना भी इंटर्नशिप पाठ्यक्रम से गुजरने की अनुमति देने के लिए पारित अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप किया। यह अभिनिर्धारित किया गया था

कि "न्यायालयों को उनके कार्यों को स्वयं अपने हाथो में लेकर शैक्षणिक अधिकारियों को शर्मिंदा नहीं करना चाहिए।" ए.पी. क्रिश्चियन मेडिकल एजुकेशनल सोसाइटी बनाम सरकार. ए.पी., [1986] 2 एस.सी.सी.667 में इस न्यायालय ने कहा कि न्यायालय अपने आदेश से विश्वविद्यालय को उस क़ानून और विनियमों की अवज्ञा करने का निर्देश नहीं दे सकता है, जिसके कारण उनका अस्तित्व है और विश्वविद्यालय स्वयं द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन करना कानून के शासन के लिए विनाशकारी होगा।

इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि आम तौर पर अदालत को शैक्षणिक संस्थानों, विशेष रूप से एमसीआई या डीसीआई जैसे विशेषज्ञ निकायों के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। फिर भी, यह सवाल उठाया जाता है कि यदि ऐसे निकाय किसी कुत्सित उद्देश्य के लिए मनमाने उपयोग से कार्य करते हैं, तो क्या अदालत के पास ऐसे अधिकारियों द्वारा शक्ति के इस तरह के मनमाने उपयोग को सही करने की शक्ति है। हम इस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक रूप में पाते हैं। हम विद्वान सॉलिसिटर जनरल से भी सहमत हैं कि शैक्षणिक संस्थानों को धन अर्जित करने के लिए व्यावसायीकरण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन साथ ही, अदालतें इस क्षेत्र में बहुत कम कर सकती हैं क्योंकि यह विशेषज्ञ निकायों का कार्य है, जैसे कि,भारतीय चिकित्सा परिषद या भारतीय दंत चिकित्सा परिषद का। हालाँकि, यदि इस अपील में निरीक्षण रिपोर्ट और

केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदन देने के संबंध में लगाए गए आरोप बार-बार लगाए जाते हैं, तो नागरिकों का ऐसे संस्थानों से विश्वास उठ जाएगा। हम इस सवाल को केंद्र सरकार पर छोड़ते हैं कि वह उचित तरीके से निपटे क्योंकि यह संबंधित अधिकारियों का काम है कि वे खामियों को दूर करें और देखें कि ऐसे मामलों में कुछ भी गलत न हो।

इस मामले में विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री साल्वे ने कहा कि पिछली निरीक्षण रिपोर्टों और इस न्यायालय के आदेश दिनांक 03.05.2000 द्वारा गठित निरीक्षण टीम की रिपोर्ट के अलावा डेन्टल काॅलेज में कई कमियों को इंगित करते हुए कुछ कमियां अभी भी पायी गयी। इसलिए, डेंटल काउंसिल की केंद्र सरकार को कॉलेज का नवीनीकरण नहीं करने और छात्रों की संख्या को 60 तक सीमित करने की सिफारिशें वैध, न्यायसंगत, उचित और कानूनी थी। अंततः 12.4.2001 को, जब मामला सुनवाई के लिए आया, तो यह हमारे संज्ञान में लाया गया कि अभी भी डी.सी.आई. ने कुछ आपत्तियाँ उठायी है। जैसा कि प्रत्यर्थी के वरिष्ठ वकील श्री शांति भूषण द्वारा यह तर्क दिया था कि ट्रस्ट द्वारा स्थापित कॉलेज देश के सर्वश्रेष्ठ कॉलेजों में से एक था, जिसमें वैधानिक नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक सभी बुनियादी ढांचे थे, उनके अनुरोध पर, सॉलिसिटर जनरल डी.सी.आई. के अध्यक्ष कुछ प्रतिष्ठित डॉक्टरों सहित कॉलेज परिसर का दौरा करने के लिए उनके साथ थे।

इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि कॉलेज सभी बतायी गयी आवश्यक्ताओं का पालन रहा है मामले की सुनवाई के दौरान, दोनों पक्षों के विद्वान वकील इस बात पर सहमत हुए कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और इस न्यायालय द्वारा 3.5.2001 पारित आदेश पर विचार करते हुए, निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाएंः

1. जहां तक कालेज को अपेक्षित अनुमति देने का संबंध है, तो सुविधाओं की वर्तमान स्थिति पहले वर्ष में 100 छात्रों तक प्रवेश की अनुमति देने और दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष के लिए बीडीएस कोर्स के नवीनीकरण को उचित ठहराएगी। जहां तक शिक्षण स्टाफ का सवाल है, कॉलेज नियमों के अनुसार परिषद और केंद्र सरकार की संतुष्टि के लिए पूर्ण शिक्षण स्टाफ के प्रावधान की पालना सुनिश्चित करेगा।

2. निर्धारित शर्तों एवं परीक्षाओं के संचालन की संतुष्टि के अधीन, अंतिम मान्यता पर नियमों के अनुसार विचार किया जाएगा।

3. डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया को उपरोक्त के अनुरूप अपनी सिफारिशें तुरंत केंद्र सरकार को भेजने का निर्देश दिया जाता है।

4. केंद्र सरकार को यह निर्देशित किया जाता है कि किसी भी स्थिति में, डीसीआई द्वारा की गई सिफारिशों की तारीख से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर भारतीय डेंटल काउंसिल की सिफारिशों के आधार पर उचित

अनुमति/नवीनीकरण तुरंत किए जाएंगे।

5. पात्र छात्रों के संबंध में कक्षाओं को निलंबित करने का निर्देश वापस ले लिया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए, पात्र छात्र निम्नलिखित दो श्रेणियों के होंगे-

(i) वे छात्र जो किसी भी राज्य सरकार (चाहे स्वयं या किसी अन्य प्राधिकारिता के माध्यम से) आयोजित किसी भी सामान्य प्रवेश परीक्षा में उपस्थित हुए हों और योग्यता परीक्षा में अंग्रेजी और विज्ञान विषयों दोनों में कुल अंकों में से कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हो या प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा में अंग्रेजी और विज्ञान विषयों में कुल प्रतियोगी परीक्षा में 50% अंक प्राप्त किया हो।

द्वितीय, उपरोक्त (i) में आने वाले छात्रों के अलावा वे छात्र, जिन्होंने योग्यता परीक्षा में अंग्रेजी और विज्ञान विषयों को मिलाकर कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हो, ऐसे छात्रों की कुल संख्या प्रत्येक बैच में 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

6. प्रत्यर्थी कॉलेज को छह सप्ताह के भीतर डीसीआई और बीआर अंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा को उनके द्वारा प्रवेशित "योग्य छात्रों" की सूची (महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, राज्य यू.पी. द्वारा आवंटित छात्रों के अलावा) और राज्य सरकार द्वारा आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा में ऐसे

छात्रों द्वारा प्राप्त अंक और सीईटी और योग्यता परीक्षा के साथ योग्यता अंक की मार्कशीट देने का निर्देश दिया जाता है। प्रत्यर्थी कॉलेज केवल ऐसे "योग्य छात्रों" को कक्षाओं में भाग लेने और परीक्षाओं में बैठने की अनुमति देगा।

7. विश्वविद्यालय को निर्देश दिया गया है कि ऊपर उल्लिखित पात्र छात्रों को, जिन्होंने डीसीआई के नियमों के अनुसार अपेक्षित संख्या में कक्षाओं में भाग लिया है, विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार उचित परीक्षा देने की अनुमति दी जाए।

8. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा नियमों के अनुसार उपरोक्त आधार पर अतिरिक्त छात्रों को आवंटित कर सकते हैं, बशर्ते वह संतुष्ट हों कि डीसीआई के नियमों के अनुसार अपेक्षित संख्या में कक्षाएं पूरी करने के लिए परीक्षा से पहले पर्याप्त समय उपलब्ध है।

चूंकि पक्षकारान उपरोक्त निर्देशों पर सहमत हैं, इसलिए हम तदनुसार आदेश देते हैं। लेकिन हम यह स्पष्ट करते हैं कि यह आदेश वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में पारित किया गया है और इसे एक मिसाल के रूप में नहीं माना जाएगा।

अब, उपरोक्त सहमत आदेश पर विचार करते हुए, अगला प्रश्न उन छात्रों से संबंधित है जिन्हें शैक्षणिक वर्ष 1996-97, 1997-98, 1998-99

और 1999-2000 के लिए प्रत्यर्थी-कॉलेज द्वारा प्रवेश दिया गया है। यह प्रस्तुत किया गया था कि चूंकि कॉलेज ने प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिए सौ छात्रों को प्रवेश दिया है, इस तथ्य के बावजूद कि डीसीआई ने केवल 60 छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति दी है, न्यायालय उचित आदेश पारित कर सकता है ताकि संस्थान वैधानिक विनियमन को हल्के में न ले और शैक्षणिक संस्थान का पैसा कमाने के व्यावसायिक उद्देश्य के लिए उपयाेग ना करें।

इसके विपरीत, विद्वान वरिष्ठ वकील श्री शांति भूषण ने तर्क दिया कि संस्थान ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार 100 छात्रों को प्रवेश दिया है और इसलिए, यह मानना उचित नहीं होगा कि संस्थान ने वैधानिक नियमों का पालन नहीं की है। उन्होंने बताया कि इस न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रियान्वयन पर रोक नहीं लगाई है। यह बताया गया है कि प्रत्यर्थी कॉलेज 'नो प्रॉफिट नो लॉस' के आधार पर कार्य करता है और प्रबंधन को ऐसी स्थिति में खींचना समाज के हित में नहीं होगा, जहां उसे संस्थान को बंद करने के लिए मजबूर किया जा सके। किसी भी स्थिति में, यह प्रवेशित छात्रों के करियर को खतरे में डालने के अलावा सार्वजनिक धन की एक बड़ी हानि होगी। इस उद्देश्य के लिए, उन्होंने हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य बाम हिमाचल इंस्टीट्यूट आफ इंजिनियरिंग एण्ड टेक्नोलाॅजी, शिमला [(1998)

8 एससीसी 501] का हवाला दिया और कहा कि ऐसी स्थिति में या तो सीटें खाली रह जाएगी और बर्बाद हो जाएगी या प्रबंधन को प्रबंधन द्वारा अपनाए गए उचित मानदंडों पर उन सीटों को भरने की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि एक प्रभावी समाधान निकाला जाना चाहिए, जैसा कि इस न्यायालय ने कहा है, अन्यथा संस्थान व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाने के खर्चों को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा और हॉब्सन की पसंद पर निर्भर होगा कि या तो उसे भारी नुकसान सहना होगा या इसे बंद करना होगा। उनका यह तर्क है कि अंततः कॉलेज की स्थापना के बाद, इसे चलाने के लिए उन्नी कृष्णन के मामले (सुप्रा) में वर्णित परिकल्पित योजना के अनुसार वित्त उन छात्रों से आएगा।

इस मामले में, केंद्र सरकार ने निर्विवाद रूप से प्रत्यर्थी-ट्रस्ट को डेंटल कॉलेज की स्थापना की मंजूरी दे दी है। एकमात्र प्रश्न यह था कि क्या छात्रों की संख्या ट्रस्ट के तर्क के अनुसार 100 होनी चाहिए या डीसीआई के तर्क के अनुसार 60 होनी चाहिए। इसलिए, इस मामले के विशिष्ट तथ्यों पर विचार करते हुए, विशेष रूप से, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 05.09.1997 को डेंटल कॉलेज को 60 छात्रों के बजाय 100 छात्रों के एक बैच को सालाना प्रवेश देने की मंजूरी देने के लिए एक परमादेश जारी किया गया था और इस न्यायालय ने उक्त आदेश के कार्यान्वयन पर रोक नहीं लगाई है और रिट याचिका संख्या 8299/99 में 26.2.99 और

17.4.99 को उच्च न्यायालय द्वारा पारित आगे के आदेशों पर भी रोक नहीं लगाई है, हमें नहीं लगता कि डेंटल कॉलेज द्वारा दिए गए प्रवेश को अस्त-व्यस्त करना उचित व सही होगा। उपर्युक्त सहमत आदेश में कुछ अनियमितताओं पर ध्यान रखा गया है। इसके अलावा, यह बताया गया है कि शैक्षणिक सत्र 1997-98 के छात्रों को जनवरी 1998 के काफी बाद प्रवेश दिया गया था और इसी तरह, शैक्षणिक सत्र 1998-99 के छात्रों को जून 1999 के बाद प्रवेश दिया गया था। कॉलेज में शिक्षण कार्य को न्यायालय के आदेश दिनांक 3.5.99 से निलंबित कर रखा है। इस प्रकार, अब तक पहले शैक्षणिक सत्र के छात्रों ने केवल 2 1/2 वर्ष की अवधि के लिए अध्ययन किया है, दूसरे बैच के छात्रों ने 1 1/2 वर्ष की अवधि के लिए अध्ययन किया है और तीसरे बैच के छात्रों ने छह माह की अवधि के लिए अध्ययन किया है। इसलिए, यह आदेश दिया जाता है कि इन छात्रों को बीडीएस पाठ्यक्रम की चार साल की अवधि के लिए प्रत्येक वर्ष न्यूनतम कक्षाओं में उपस्थिति की आवश्यक्ता निर्धारित करने वाले डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार ही परीक्षाओं में बैठने की अनुमति दी जाएगी।

उपरोक्त के मद्देनजर, 1997 के एसएलपी (सिविल) संख्या 22222 और 1999 के 8464-8465 से उत्पन्न सिविल अपीलों का तदनुसार निपटारा किया जाता है। 1999 की स्थानांतरण याचिका संख्या 437 को भी

स्वीकार किया जाता है; उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित रिट याचिका संख्या 8299/1999 को इस न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया है और तदनुसार निपटाया गया है। हर्जे की राशि के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया है।

सिविल अपील नं. 3295/2001 और सिविल अपील नम्बर 3296-97/2001 का निस्तारण किया गया। स्थानांतरण याचिका संख्या 437/99 को स्वीकार किया।

यह अनुवाद आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवाद न्यायिक अधिकारी मीनाक्षी जैन, (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्येश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और अधिकारिक उद्येश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्येश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।